FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0249 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/09/2025 18:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 21/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/09/2025 18:10:30 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 15 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HOTEL DESHI THATH KE SAMNE, GOVINDPURA KALWAR ROAD, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KISHAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NAWAL SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	146, BALALJI VIHAR C NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	146, BALALJI VIHAR C NIWARU ROAD, JHOTWARA, JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA MEENA		पिता:RANJEET MEENA	1. PATWARI,PATWAR HALKA HATHOJ,KALWAR,KALWAR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	VIKASH SHARMA		पिता:YUGAL KISHORE	1. 34,RAJPUTO KA MOHALLA,PITAWAS HATHOJ KALWAR ROAD,JAIPUR,KARDHANI,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	3000000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	30,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 19.09.2025 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के कार्यालय कक्ष में दो व्यक्ति उपस्थित आये, जिनमें से एक ने अपना नाम श्री किशन सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नवल सिंह सिसोदिया उम्र 32 प्लाट नम्बर 146, बालाजी विहार-सी, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर होना बताया तथा साथ में आये दूसरे व्यक्ति को अपना बडा भाई श्री नरेन्द्र सिंह होना बताया। तत्पश्चात् श्री किशन सिंह सिसोदिया ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि "प्रार्थी श्री किशन सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नवल सिंह सिसोदिया निवासी प्लाट नम्बर 146, बालाजी विहार-सी, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर का रहने वाला है। मैं प्रोपर्टी क्रय विक्रय करने का कार्य करता हूं। मैंने अभी कुछ समय पूर्व हाथोज तहसील कालवाड में किशोरपुरा रोड पर 10 बीघा जमीन खरीदी है। जिसका नामान्तरण खुलवाने के लिये तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नामान्तरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी श्री नरेन्द्र मीणा से सम्पर्क किया तो श्री नरेन्द्र मीणा ने मेरी जमीन के नामान्तरण खोलने के लिये 50 लाख रूपये की मांग की उक्त राशि वह अपने तथा तहसीलदार कालवाड के लिये मांग रहा है। मैंने भी पटवारी श्री नरेन्द्र मीणा से नामान्तरण खुलवाने के लिये फोन पर वार्ता कर नामान्तरण खोलने के लिये निवेदन किया तो श्री नरेन्द्र मीणा ने मेरे कार्य के लिये 50 लाख रूपये की मांग कर उक्त कार्य की एवज में स्वयं व तहसीलदार जयपाल सिंह के नाम पर 50 लाख रूपये की मांग की। मैं श्री नरेन्द्र सिंह मीणा को मेरे कार्य के एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मेरी नरेन्द्र मीणा से कोई रंजिश नहीं है। न ही उससे मैंने उससे कोई लेन देन बकाया है। अतः रिपोर्ट करता हूं कि इस सम्बंध में कानूनी कार्यवाही करवाये। जिस पर श्री किशन सिंह सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री किशन सिंह सिसोदिया से मजीद दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैंने मेरे बोले अनुसार मेरे भाई श्री नरेन्द्र सिंह से लिखवाया है। मैं प्रोपर्टी डिलींग का कार्य करता हॅूं, जिसमें प्रोपर्टी क्रय विक्रय करना, जमीन की प्लाटींग कर विक्रय करना आदि कार्य करता हूं। अभी कुछ समय पूर्व मैंने श्री मनस्वी गौतम से हाथोज में किशोरपुरा रोड पर 10 बीघा जमीन खरीदी है। जिसके सम्बन्ध में श्री मनस्वी ने मुझे पावर आफ अटॉर्नी कर उक्त जमीन सम्बंधि समस्त अधिकार मुझे जरिये मुख्तियार नामा के दिये गये है। उक्त भूमि का धारक श्री मनस्वी है जो उसे यह भूमि गिफ्ट डीड से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने के लिये एसडीएम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। जिसके एसडीएम साहब द्वारा डिक्री के आदेश कर दिये है। चूंकि उक्त भूमि के नामान्तरण खुलने पर ही भूमि मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है। इस बात की जानकारी श्री नरेन्द्र मीणा को भलीभांति है। श्री नरेन्द्र मीणा को उक्त भूमि को मेरे द्वारा क्रय करने आदि के बारे में भी पूर्ण जानकारी है। इस कारण उक्त भूमि के नामान्तरण खुलवाने के लिये मैंने श्री नरेन्द्र मीणा से सम्पर्क किया तो उसने मेरे से पहले 50,00,000/रूपये रिश्वत की मांग की। आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर पटवारी श्री नरेन्द्र मीणा ने स्वयं के मोबाईल नम्बर [redacted] से व्हाटसएप्प मिस्ड कॉल समय 1211 पीएम पर किया। तक मैंने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 1254 पीएम पर जरिये व्हाट्स एप्प कॉल कर जमीन के नामान्तरण खोलने के सम्बंध में वार्ता की तो उसने मुझसे पूर्व में मांगे गये 50 लाख रूपयों में से 5 लाख रूपये कम कर 45 लाख रूपये की मांग की। फोन पर हुई उपरोक्त वार्ता को मैंने मेरे फोन को स्पीकर मोड पर कर मेरे भाई श्री नरेन्द्र सिंह के फोन से रिकार्ड किया है। जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे भाई के फोन में सुरक्षित है। तत्पश्चात् परिवादी ने आज दिनांक 19.09.2025 को स्वयं द्वारा अपने भाई श्री नरेन्द्र सिंह के फोन में संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी से हुई वार्ता की संरक्षित रिकॉर्डिंग को सुनाया गया तो उक्त रिकॉर्डिंग में संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसके कार्य के एवज

में पूर्व में की गई मांग के अनुसरण में राशि 05 लाख रूपये कम कर 45 लाख की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा सन्दर्भित जमीन के सम्बंध में तैयार मुख्तियारनामा की तथा उक्त भूमि की एसडीएम कोर्ट-प्रथम जयपुर से हुये डिक्री आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई। जिनको बाद अवलोकन शामिल मिसल किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी का कार्य संदिग्ध अधिकारी के स्तर पर लम्बित है तथा उक्त कार्य के एवज में संदिग्ध द्वारा अनुचित लाभ की मांग की जा रही है। तत्पश्चात् परिवादी श्री किशन सिंह तथा उसके साथ में उपस्थित श्री नरेन्द्र सिंह को फोन में संरक्षित उक्त रिकॉर्डिंग को आईन्दा प्रस्तुत करने तथा मोबाईल फोन में सुरक्षित रखने की हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी ने बताया कि मेरी और मेरे भाई की श्री नरेन्द्र मीणा से कोई रंजिश नहीं है तथा न ही उससे मेरा कोई लेन-देन बकाया है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के साथ उपस्थित आये श्री नरेन्द्र सिंह से उपरोक्त के सम्बंध में पूछा गया तो श्री नरेन्द्र सिंह ने परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद की। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा परिवादी से हुई मजीद पूछताछ से मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता है। जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री सुभाष हैडकानि0 35 को तलब कर विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। श्री सुभाष हैडकानि0 का परिचय परिवादी तथा उसके साथ उपस्थित आये श्री नरेन्द्र सिंह से करवाया गया। परिवादी तथा उसके साथ में उपस्थित श्री नरेन्द्र सिंह को भी सुभाष हैडकानि0 से परिचित किया गया। श्री सुभाष हैडकानि0 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विस्तृत जानकारी अवगत कराई जाकर अग्रिम सत्यापन के सम्बध में हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात परिवादी को ट्रेप कार्यवाही से पूर्व गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि श्री नरेन्द्र मीणा को अभी फोन करने पर वह मिलने के लिये जगह बतायेगा। वहीं पर जाकर उससे इस सम्बंध में वार्ता करनी होगी। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि अभी मेरे फोन पर श्री नरेन्द्र मीणा का व्हाट्स एप्प कॉल आ रहा है। सम्भवतया वह मेरे कार्य के सम्बंध में पूर्व में की गई रिश्वत मांग के सम्बंध में बातचीत करने के लिये फोन कर रहा है। मैं अभी उससे बात करूंगा तो वह मुझे सम्भवतया मिलने के लिये बुलायेगा। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री नरेन्द्र मीणा मुझसे रिश्वत मांग कर शीघ्र ही रिश्वत राशि देने हेतु कहेगा। तत्पश्चात परिवादी श्री किशन सिंह के समक्ष विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित कर उसमें एक नया एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी (खाली) को परिवादी के समक्ष डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर उसका खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की गई। चूंकि परिवादी के बतायेअनुसार सत्यापन हेतु संदिग्ध अधिकारी द्वारा वार्ता हेतु निश्चित स्थान बताये जाने की सम्भावना होने से परिवादी की संदिग्ध अधिकारी से फोन पर वार्ता करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी के मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन करवाया जाकर परिवादी के मोबाईल फोन को स्पीकर मोड पर कर होने वाली वार्ता को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी द्वारा परिवादी के कार्य के सम्बंध में वार्ता कर कालवाड रोड पर मिलकर वार्ता करने के लिये बुलाया गया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी उससे बहुत ज्यादा रिश्वत की मांग करेगा तथा इतनी राशि की उसके पास व्यवस्था नहीं हो सकेगी। मैंने सुना है कि एसीबी डमी नोटों भी कार्यवाहियों में काम में लेती है। मैं मेरे से जितनी राशि हो सकेगी व्यवस्था करूंगा बाकि मेरी कार्यवाही में भी डमी नोट इस्तेमाल कर लेवें। परिवादी ने बताया कि मैंने संदिग्ध को आज दिन में वार्ता होने पर होस्पीटल में आना बताया था। इसलिये अब मैं उसके बताये अनुसार कालवाड रोड जाकर श्री नरेन्द्र मीणा से वार्ता करूंगा। जिस पर पुनः परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस कर गोपनीय सत्यापन के बारे में हिदायत दी गई तथा श्री सुभाष हैडकानि0 को भी परिवादी के साथ में जाकर मामले में गोपनीयता से सत्यापन करवाने की हिदायत मुनासिब कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ रवाना किया गया। मामले में परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों से प्रतीत होता है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से सत्यापन के दौरान शीघ्र रिश्वत की मांग की जा सकती है। इसलिये मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित कानि. श्री मनीष सिंह को तलब कर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के कार्यालय के नाम तहरीर सुपुर्द कर बाद हिदायत कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर हेतु रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् कानि0 श्री मनीष सिंह ने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन-प्रथम, जिला जयपुर का पत्र क्रमांक 2304 .दिनांक 19.09.2025 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त पत्रानुसार गवाह हेतु श्री अमित तनवानी तथा श्री मुकेश कुमार मीणा को फोन कर पाबंद करवा कर कल दिनांक को कार्यालय समय में उपस्थित होने हेतु पाबंद करवा दिया गया है। आईन्दा गवाह के कार्यालय में उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कार्यालय स्टाफ को भी कल दिनांक 20.09.2025 को अव्वल वक्त पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 19.09.2025 को समय 07.47 पी0एम0 पर हैडकानि0 श्री सुभाष ने जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार मैं कार्यालय से परिवादी श्री किशन सिंह के साथ उनके वाहन सं0 आरजे 14 यूके 9278 में ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कालवाड रोड पहुंचा, जहां पर परिवादी के साथ में आये श्री नरेन्द्र सिंह गाडी से उतर गये तथा परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने

फोन पर यहीं कालवाड रोड पर पहुंचने के लिये कहा था। जिस पर परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये व्हाट्स एप्प कॉल किया तो संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी को वार्ता करने के लिये मंगल चाय घर पर मिलने के लिये बुलाया। उक्त वार्ता को परिवादी के फोन को स्पीकर मोड पर कर विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के साथ उसकी गाडी में संदिग्ध अधिकारी के बताये हुये स्थान मंगल चाय घर से थोडी पहले परिवादी ने गाडी रोक दी तथा बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने मंगल चाय घर पर आने के लिये कहा था। जिस पर मैंने समय 0653 पीएम पर विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा मैं परिवादी की गाडी से उतर कर गाडी के पीछे पीछे रवाना हुआ। थोडी ही देर में परिवादी मंगल चाय घर की दूकान के आगे जाकर गाडी रोककर संदिग्ध अधिकारी के आने के इंतजार में गाडी में बैठा रहा तथा मैं रोड के दूसरी तरफ राजपूताना होस्पीटल की तरफ खडा रहकर दोनों के मिलन व वार्ता के इंतजार में मूकीम रहा। कुछ देर पश्चात एक व्यक्ति एक गाडी से उतरकर परिवादी से मिला तथा उस व्यक्ति के साथ परिवादी मंगल चाय की दूकान के बाहर बैठकर चाय पीते-पीते वार्ता करने लग गया। चूंकि परिवादी को वहां पर संदिग्ध अधिकारी ने ही बुलाया था सम्भवतया वही संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा था जिससे परिवादी वार्ता कर रहा था। कुछ समय वार्ता करने के पश्चात दोनों परिवादी की गाडी में बेठकर जयपुर की तरफ आ गये। थोडी देर बाद परिवादी ने मुझे फोन कर संदिग्ध से वार्ता होने के बारे में बताया मैंने परिवादी को फोन पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद करने की हिदायत की तथा मैं भी परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त किया। उसमें रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर चलाकर सुना तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग किया जाना पाया गया। परिवादी ने बताया कि अभी जो मेरे से मंगल चाय की दूकान पर मिलने के लिये आया था यही संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी है जिसने मुझसे मेरे नामान्तरण खोलने के कार्य की एवज में पूर्व में की गई 50 लाख रूपये की रिश्वत की मांग में अभी 35 लाख रूपये की मांग कर 30 लाख रूपये लेना तय किया है। जिसने मुझे यहां सांवरिया होटल के सामने छोडने के लिये कहा था जिसको मैंने यहां पर छोड दिया, जो किसी गाडी में बैठकर चला गया है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी परिवादी से वार्ता की तो परिवादी द्वारा भी उक्त तथ्य ताईद कर बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने मेरे कार्य के एवज में 30 लाख रूप्ये की रिश्वत लेना तय किया है तथा तहसीलदार से भी उसने मेरे सामने फोन पर उक्त राशि तय होने तथा कार्य करने के सम्बंध में वार्ता की है। मैंने संदिग्ध अधिकारी को 15-15 लाख रूपये की दो किश्तों में राशि देने के लिये कहने पर उसने राशि एक साथ देने के लिये कहा है तथा संदिग्ध अधिकारी ने बातचीत में कल ही रिश्वत राशि देने के लिये कहा है। तत्पश्चात् परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की समझाईस की गई। श्री सुभाष हैडकानि0 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित रखकर कार्यालय पहुंचने तथा परिवादी को रूखसत करने की हिदायत की गई। दिनांक 20.09.2025 को समय 09.30 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री सुभाष हैडकानि द्वारा कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को निकालकर प्रस्तुत किया गया, जिसको विभागीय लेपटॉप में लगाकर सरसरी तौर पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया। जिसमें परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य वार्ता होना पाया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसकी जमीन के नामान्तरण खोलने की एवज में पूर्व में की गई रिश्वत मांग के क्रम में 35,00,000/- रूपये की मांग करना तथा बाद में 30,00,000/- रूपये लेना तय करना पाया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 15,00,000-15,00,000 रूपये की दो किश्तो में देने की कहने पर संदिग्ध द्वारा 30,00,000/- रूपये की रिश्वत राशि की एक साथ मांग किया जाना पाया गया है। उपरोक्त वार्ता में संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा द्वारा परिवादी से उक्त रिश्वत राशि स्वयं तथा तहसीलदार के लिये लेने हेतु कहा गया है। संदिग्ध द्वारा इस सन्दर्भ में सम्भवतया दौराने सत्यापन तहसीलदार को फोन भी किया गया है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क करने पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था करने तथा कुछ समय में कार्यालय पहुंचने के लिये कहा गया। आईन्दा परिवादी के आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 20.09.2025 को समय 10.00 ए0एम0 पर तलबिदा कार्यालय स्टाफ उपस्थित कार्यालय आया। तलबिदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अमित तनवानी तथा श्री मुकेश कुमार मीणा भी उपस्थित कार्यालय आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्ण नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम श्री अमित तनवानी पुत्र स्व0 श्री हुकमतराय तनवानी उम्र 41 साल निवासी 225, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, पुलिस थाना जवाहर नगर, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन-प्रथम, जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] तथा दूसरे ने श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र स्व0 श्री कैलाश प्रसाद मीणा उम्र 39 साल निवासी गांव महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा हाल अतिरिकत प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन-प्रथम, जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के आने के इंतजार में कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 20.09.2025 को समय 05.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री किशन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह के साथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। जिसने बताया कि मेरे से संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा को देने के लिये 5,00,000/- रूपये की ही व्यवस्था हुई है। मैं और राशि की व्यवस्था कर रहा हूं। जिस पर अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। परिवादी ने बताया कि अभी उसने अपने मिलने वालों से राशि के लिये कहा है उनके वापस बताते ही में आपको बता दूंगा। इसी दौरान परिवादी के पास संदिग्ध अधिकारी के फोन करने पर

परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी का फोन आ रहा है। सम्भवतया वह मुझसे रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता कर रहा है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी किशन सिंह का परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। दिनांक 19.09.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री किशन सिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी का फोन आया है सम्भवतया वह मुझसे रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता कर सकता है। इसलिये उससे वार्ता कर रिश्वत राशि कहा पर देनी है इस सम्बंध में वार्ता करना आवयश्यक है। जिस पर परिवादी के कहें अनुसार परिवादी की संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी के मोबाईल नम्बर पर जरीये फोन वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को विभागीय डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध अधिकारी द्वारा वार्ता में परिवादी को स्वयं का बाहर जाना अवगत कराया गया। जिस पर परिवादी ने फोन काट दिया। तत्पश्चात् परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी संदिग्ध अधिकारी बाहर चला गया है। इसलिये रिश्वत राशि आदान-प्रदान करना सम्भव नहीं है। कुछ समय पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं सदिग्ध अधिकारी को फोन पर आईन्दा मेरे मामले में कब वार्ता करने हेतु मिलने के लिये फोन करके पूछ लेता हूं जिससे वह मुझे मिलने के लिये बता देगा। जिस पर परिवादी के कहे अनुसार पुनः स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की जरिये व्हाट्स एप्प कॉल वार्ता करवाई जाकर वार्ता को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा बाद में मिलकर बात करने के लिये कहा। आईन्दा मामले में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। परिवादी को आईन्दा संदिग्ध अधिकारी के सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने तथा मामले में गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढने हेतु कहने पर गवाह श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र पढा गया तथा गवाह श्री अमित तनवानी द्वारा परिवादी का प्रार्थना पत्र पढने से इनकार किया तथा बाद में गवाह को उक्त कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक समझाईस की गई। तत्पश्चात् गवाह श्री अमित तनवानी द्वारा प्रार्थना पत्र पढा जाकर दोनों गवाहान द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् दोनों गवाहान को पुनः ट्रेप प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की जाकर स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान तथा उपस्थित कार्यालय स्टाफ को मामले में गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई तथा मामले में आईन्दा दिनांक 19.09.2025 को करवाये गये गोपनीय सत्यापन की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जावेगी। जिस हेतु उपस्थित स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी को आईन्दा फर्द वार्ता रूपान्तरण मूर्तिब करने हेतु तलब करने पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 21.09.2025 को समय 08.50 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री किशन सिंह द्वारा जरिये दूरभाष सूचित किया कि अभी अचानक संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी अपने परिचित श्री विकास शर्मा के साथ आकर मुझसे मेरे घर पर मिलकर गया है तथा कहा है कि मुझे किसी के माध्यम से मेरी शिकायत होने के बारे में जानकारी मिली है। जिस पर मैंने उसको विश्वास दिलाया कि मेरा तो आप लोगों से काम पडता रहता है, मैं आपकी क्यों शिकायत करूंगा। मुझे पैसों की व्यवस्था करने में समय लग रहा है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने मेरा फोन लेकर स्वीच ऑफ कर दिया तथा बताया कि मामला सिरीयस है, मैं आपका काम कर दूंगा, परन्तु आपको राशि एक साथ ही देनी पडेगी तथा अब आप इससे सम्बंधित किसी से कोई वार्ता नहीं करोगे। संदिग्ध पटवारी ने अपने साथ आये श्री विकास शर्मा को अपना परिचित बताकर उक्त भूमि में एक प्लाट कन्सेसन रेट में देने की बात कही है। विकास शर्मा ने भी भूमि के नामान्तरण खुलवाने की एवज में पैसे नही देने पर स्टे लगवाने की बात कही। संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा द्वारा मेरे से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता श्री विकास शर्मा के सामने की गई है। सम्भवतया विकास शर्मा को मेरे मामले में संदिग्ध अधिकारी के रिश्वत मांग कर प्राप्त करने की पूर्ण जानकारी है। फिर सदिग्ध अधिकारी ने बताया कि अब आपके पास राशि की व्यवस्था होते ही आप दिन में 2-3 बजे के आस पास मुझे फोन कर व्यवस्था होने के बारे में "जय श्री बालाजी" बोलकर व्यवस्था होने की जानकारी दोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे। जिस पर मैंने उसके बताये अनुसार सहमति दे दी। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर तुरन्त कार्यालय में पहुंचने की हिदायत की। जिस पर परिवादी द्वारा अभी 5,00,000/- रूपये की ही व्यवस्था होना बताया तथा शेष राशि हेतु डमी राशि का उपयोग करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर परिवादी को मार्केट से शेष डमी राशि के नोट लाने तथा जितनी राशि की व्यवस्था हुई वह साथ में लेकर कार्यालय पहुंचने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् जरिये दूरभाष स्वतंत्र गवाहान तथा कार्यालय स्टाफ को भी कार्यालय में पहुंचने की हिदायत करवाई गई। दिनांक 21.09.2025 को स्वतंत्र गवाह श्री अमित तनवानी से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो गवाह श्री अमित तनवानी का फोन लगा नही व स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश कुमार मीणा से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो गवाह श्री मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि वह अभी अति-आवश्यक अन्तिम श्राद्ध की पूजा में है तथा वह अभी कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता। उसे कार्यालय में उपस्थित होने में समय लगेगा। चूंकि स्वतंत्र गवाहान श्री अमित तनवानी व श्री मुकेश कुमार मीणा अभी तक कार्यालय उपस्थित नही आये है तथा गवाहान के कार्यालय में उपस्थित होने की नगण्य सम्भावना को देखते हुये हालात् उच्चाधिकारियों को निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्य स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय स्टाफ

को निर्देशित किया। परन्तु राजपत्रित अवकाश होने से समस्त कार्यालय बन्द हैं तथा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार संदिग्ध से समय करीब 2-3 बजे के बीच ही रिश्वती राशि के आदान-प्रदान की संभावना है। कार्यालय स्टाफ की सहायता से नए स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री भूपेन्द्र पारीक की तलबी की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में नियंत्रण अधिकारी से जरिये दूरभाष वार्ता कर गवाहान श्री अमित तनवानी तथा श्री मुकेश कुमार मीणा के कार्यालय में उपस्थित नही होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। दिनांक 21.09.2025 को समय 12.50 पी0एम0 पर तलबिदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह तथा श्री भूपेन्द्र पारीक उपस्थित कार्यालय आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्ण नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम कुलदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, उम्र- 33 साल, निवासी- क्वार्टर न0 ए-1, पी.एच.ई.डी. क्वार्टर सेक्टर- 26, आयुष भवन के पास प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर हाल- पम्प चालक द्वितीय, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड- दक्षिण- 12, प्रतापनगर जयपुर मो0न0 [redacted]तथा दूसरे ने श्री भूपेन्द्र पारीक पुत्र स्व. श्री राधामोहन पारीक उम्र- 36 साल निवासी- बी-33, ऑफिसर्स कॉलोनी कनकपुरा, सिरसी रोड़ जयपुर हाल- लाईन मैन, कार्यालय सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल - हाथोज कालवाड रोड जयपुर। मो0 न0 [redacted]होना बताया। तत्पश्चात् उपस्थित दोनों गवाहान श्री कुलदीप सिंह तथा श्री भूपेन्द्र पारीक को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने के प्रयोजन के बारे में बताकर उनका परिचय कार्यालय उपस्थित परिवादी श्री किशन सिंह व उसके भाई श्री नरेन्द्र सिंह से करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य दिनांक 19.09.2025 को रिश्वती राशि मांग सम्बन्धी वार्ता, जो वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टैªप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री किशन सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री किशन सिंह ने अपने साथ में लाये बेग में से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500-500 रूपये के कुल 988, दौ सो रूपये के 16 तथा सौ रूपये के 28 नोट, कुल 10 गड्डियां कुल 5,00,000/- रूपये (जो भारतीय चलन मुद्रा के) निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि मेरे से अभी इतने ही रूपयों की व्यवस्था हो पाई तथा शेष 25 लाख रूपयों के लिये मैं जयपुर से ही डमी मुद्रा के 500-500 के नोटों की व्यवस्था कर लेकर आया हूं। तत्पश्चात् परिवादी ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष 500-500 के कुल 5000 डमी मुद्रा नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक तथा अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ) कुल 25,00,000/-डमी मुद्रा रूपये जो अखबार में लपेटे हुये प्रस्तुत किये तथा परिवादी ने यह भी बताया कि उक्त रिश्वत राशि संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी मुझसे रिश्वत राशि थैली में प्राप्त करेगा। जिस पर एक प्लास्टिक की थैली की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत 5,00,000/- रूपयो के 500/200/100 रूपये के नोटों की गड्डियों को कार्यालय में उपस्थित समस्त स्टाफ को दिलवाई जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष विभागीय कम्प्यूटर/ लेपटॉपो के माध्यम से नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार अंकित करवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से अंकित नम्बरों का मिलान करवाया गया। जो हुबहु होना पाया गया। उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के 5,00,000/- रूपयो के नोटों के अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिष्वत राषि में 500-500 रूपये के नोट जैसे दिखने वाली डमी मुद्रा के कुल 5000 नोट जो कुल राशि 25,00,000/- रूपये/कूपन के हैं। उक्त सभी डमी नोटों पर भारतीय मनोरंजन बैंक तथा अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ है। उपरोक्त सभी नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के 5,00,000/- रूपयो के 500-500 रूपये के 988, दौ सौ रूपये के 16 तथा सौ रूपयों के 28 नोट तथा डमी मुद्रा के 25,00,000/- रूपयों के कुल 500-500 रूपये जैसे दिखने वाले कुल 5000 नोटों) पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष कार्यालय की आलमारी से श्री जीतराम कानि0 नं0 204 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री जीतराम कानि0 नं0 204 से कार्यालय कक्ष की टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उक्त समस्त नोटों को रखने के लिये मंगवाई गई प्लास्टिक की थैली के बाहर भी कानि0 श्री जीतराम नं0 204 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात समस्त नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के 5,00,000/- रूपयो के 500-500 रूपये के 988, दौ सौ रूपये के 16 तथा सौ रूपयों के 28 नोट तथा डमी मुद्रा के 25,00,000/- रूपयों के कुल 500-500 रूपये जैसे दिखने वाले कुल 5000 नोटों) को कानि0 श्री जीतराम से उक्त प्लास्टिक की थैली मे रखवाये गये। तथा प्लास्टिक की थैली पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप सिंह से परिवादी श्री किशन सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। तत्पश्चात् कानि0 श्री जीतराम नं0 204 से फिनॉफ्थलीन पावडर युक्त राशि की प्लास्टिक की थैली कानि0 श्री जीतराम से कार्यालय परिसर में खडी परिवादी की कार सं0 आरजे 14 यूके 9278 की डिग्गी में रखवाई जाकर परिवादी को सुपुर्द की गई। परिवादी श्री किशन सिंह को हिदायत दी गई कि वह गाडी में रखी उक्त राशि को सुरक्षित रखे तथा फिनॉफ्थलीन पावडर युक्त थैली तथा रिश्वति राशि को जब तक नहीं छुयेगा, तब तक कि रिश्वत मांगने वाले संदिग्ध

अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नही करें तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त थैली मय रिश्वत राशि के उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात् कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एंव बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवे। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद अपने मोबाईल से OK मैसेज कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर संदिग्ध आरोपी के रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने का ईशारा करे। उक्त ईशारे के सम्बन्ध में उपस्थित स्टाफ व गवाहान को हिदायत मुनासिब की गई। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी श्री किशन सिंह के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री जीतराम. कानि. नं. 204 के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया। श्री जीतराम कानि. नं. 204 के दोनो हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन तथा गाडी की चाबी परिवादी के पास रहने दिया जाकर हिदायत दी गई की आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस की गई। कानि0 श्री जीतराम कानि. नं. 204 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उपरोक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द दृष्टान्त मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 0135 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु अलग-अलग टीम बनाकर परिवादी श्री किशन सिंह के साथ हैडकानि0 श्री सुभाष नं. 35 तथा श्री हिमांशु वरिष्ठ सहायक व श्री योगेश कुमार कानि. 202 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे रहने की हिदायत कर रवाना किया गया तथा श्री अमित सिंह हैडकानि. 139 व श्री मनीष कानि. 486 को प्राईवेट स्कूटी से रवाना कर कालवाड रोड पहुंचकर मिलने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ श्री पन्नालाल कानि. 09, श्रीमती निधी म.कानि. 86 व श्रीमती सोहनी म. कानि. 207 मय सरकारी वाहन तथा श्री रघुवीर शरण पु.नि मय स्टाफ सर्व श्री कमलेश हैडकानि. 74, श्री हिम्मत सिंह कानि. 560, श्री धर्म सिंह कानि. 249, श्री विनोद कुमार कानि. 242, श्री कमलेश कुमार कानि. 293, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 365 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री भूपेन्द्र पारीक मय सरकारी ट्रेवल बस मय चालक कानि. सरजीत के मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिंटर, कागज, ट्रेपबॉक्स, मय विभागीय कैमरा आदि साजो सामान के अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के पीछे-पीछे कालवाड रोड जयपुर हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय 02.05 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के गणेश मन्दिर के सामने कालवाड रोड पहुंचा। परिवादी को पूर्व में संदिग्ध अधिकारी द्वारा दिये गये कोडवर्ड ''जय श्री बालाजी'' बोलकर व्यवस्था होने की जानकारी देने हेतु जरिये मोबाईल बताने हेतु कहकर आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात् समय 0223 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर लाउडस्पीकर ऑन करवाकर परिवादी की वार्ता करवाई जाकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा दिये गये कोडवर्ड ''जय श्री बालाजी'' बोलकर व्यवस्था होने की जानकारी दी गई। इस पर संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को गोविन्दपुरा बुलाया। उक्त वार्ता को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर परिवादी को डीजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द करने की प्रक्रिया पुनः समझाईश कर सुपुर्द किया एवं परिवादी को आरोपी द्वारा बुलाये गये स्थान पर गोविन्दपुरा पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया। तत्पश्चात् समस्त टीमों को अलग-अलग आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी के पीछे-पीछे श्री हिमांशु वरिष्ठ सहायक व श्री योगेश कुमार कानि. 202 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से तथा श्री अमित सिंह हैडकानि. 139 व श्री मनीष कानि. 486 को प्राईवेट स्कूटी से परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक को भी सरकारी वाहन व जाप्ता के परिवादी से कुछ दूरी बनाये रखते हुये नजर रखने हेतु रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय हमराहीयान जाप्ता के परिवादी से कुछ दूरी बनाये रखते हुये पीछे-पीछे रवाना हुये। तत्पश्चात् समय 02.40 पी0एम0 पर परिवादी द्वारा गोविन्दपुरा पहुंचकर संदिग्ध अधिकारी का इन्तजार किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे-पीछे गोविन्दपुरा पहुंचा। कुछ दूरी पर

गोपनीयता बनाये रखते हुये अलग-अलग टीमों को आस-पास ही रहकर नजर रखने की आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी द्वारा गोविन्दपुरा पहुंचकर संदिग्ध अधिकारी का इन्तजार किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे-पीछे गोविन्दपुरा पहुंचा। कुछ दूरी पर गोपनीयता बनाये रखते हुये अलग-अलग टीमों को आस-पास ही रहकर नजर रखने की आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। इसी दौरान परिवादी ने मन् अति. पु. अधीक्षक को फोन कर डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को चालू कर लेना बताया। कुछ समय पश्चात् परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को का ॅल कर बताया कि अभी-अभी संदिग्ध अधिकारी का कॉल आया है, उसने मुझे फोन कर होटल देशी ठाठ के सामने, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर के सामने आने की कहा है। इस पर समय करीब 255 पीएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर होटल देशी ठाठ के सामने, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर के लिए रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय सरकारी वाहनों व दो प्राईवेट मोटरसाईकिलो से अलग-अलग टीमों व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये। समय 03.05 पी0एम0 पर जैसे ही परिवादी होटल देशी ठाठ के सामने, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर पहुंचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान के परिवादी से कुछ दूरी पर आस-पास छुपाव हासिल करते हुये खडे हो गये तथा श्री हिमांशु वरिष्ठ सहायक, श्री सुभाष हैडकानि. श्री मनीष कानि., व श्री योगेश कानि. को निगरानी हेतु मामूर किया। श्री अमित हैड कानि. व श्री मनीष कानि. को संदिग्ध अधिकारी की निगरानी हेतु मामूर किया। परिवादी एक दूकान के अन्दर जाकर वार्ता करने लगा। समय 03.12 पी0एम0 पर संदिग्ध अधिकारी पटवारी स्कार्पियों गाडी न0 आर0जे0 14 यूजे 5415 में होटल देशी ठाठ के सामने, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर आया तथा दूकान व आस-पास इधर-उधर देखकर रवाना हो गया। इसके बाद संदिग्ध अधिकारी पटवारी ने वापस दूकान व होटल देशी ठाठ के आस पास दो-तीन चक्कर लगाये। इस पर श्री मनीष कानि. 486 व श्री अमित हैडकानि. 139 को संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा की गाडी की निगरानी करने की हिदायत की तथा हमराही जाप्ता को अपनी उपस्थिति को और गहनता से छुपाते हुये निगरानी की हिदायत की गई। समय 03.35 पी0एम0 पर परिवादी दूकान से निकल कर बाहर आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी ने पैसे दलाल श्री विकास शर्मा को देने की कहा, इस पर मैंने दलाल को पैसे देने के लिए इन्कार कर दूकान से निकलकर मैं गाडी में बैठकर रवाना हो कुछ दूरी पर आकर खडा हो गया हूं। समय 03.50 पी0एम0 पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वती राशि अपने दलाल को ही देने की कहने के कारण और संदिग्ध अधिकारी रिश्वती राशि लेने के लिये अभी यहां नही आने के कारण मैं रिश्वती राशि संदिग्ध अधिकारी के दलाल को ही देने के लिये पैसे दूकान में जा रहा हूं। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर दलाल को रूपये देने की हिदायत की गई। इस पर परिवादी अपनी गाडी से दूकान के सामने आकर रूका और दूकान में दलाल से मिला। श्री मनीष कानि. ने मन् अति.पु. अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा अपनी स्कार्पियो गाडी को तेजी से भगाकर ले गया। मैंने व अमित हैडकानि ने स्कूटी से उक्त गाडी का पीछा किया किन्तु वह तेजी से गाडी भगा ले गया और ओझल हो गया। समय 04.00 पी0एम0 पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष इस समय परिवादी श्री किशन सिंह ने कृष्णा एन्टरप्राईजेज, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड जयपुर के सामने स्वयं की कार आरजे 14 यू.ए. 9278 के पास से पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाकर खडे हुये गवाहान एवं हमराहियान जाब्ते को परिवादी की गाडी के पास पहुंचने का ईशारा किया। परिवादी ने स्वयं की गाडी के पास में ही खडी सफेद कलर की स्वीफ्ट गाडी की ओर ईशारा कर समझाया कि संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी के बताये अनुसार मैंने अभी उसके दलाल के कहने पर रिश्वत राशि की थेली इस स्विफ्ट गाडी में रखी है। इस पर परिवादी की गाडी के पास खडी स्विफ्ट गाडी के पास मय जाप्ता पहुचने लगे इसी दौरान परिवादी को एक व्यक्ति दूकान में छोडकर स्वीफ्ट गाडी में ड्राईवर साईड का दरवाजा खोलकर बैठा और दरवाजा बन्द कर लिया, जिस पर उक्त व्यक्ति के मय रिश्वती राशि के गाडी भगा ले जाने से पूर्व ही हमराही जाप्ता के श्री हिमांशु वरिष्ठ सहायक ने तत्परता से उक्त गाडी के कन्डक्टर साईड का दरवाजा खोलकर गाडी में बैठ गया, हमराही जाप्ता के श्री सुभाष हैडकानि. 35, श्री हिम्मत सिंह कानि. 560, श्री योगेश कुमार कानि. 202, श्री धर्म सिंह कानि. 249 एवं श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 365 ने तत्परता से उक्त गाडी को चारो ओर से घेरकर रोका, उक्त स्वीफ्ट गाडी के दरवाजा को खोलकर ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारा तो तेजी से भागने लगा जिसको रोककर उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम विकास शर्मा होना तथा सामने की कृष्णा इन्टरप्राईजेज दूकान स्वयं की होना बताया, परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। स्वीफ्ट गाडी की निगरानी के लिये श्री कमलेश कानि. 293 व श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 365 को मामूर कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री विकास शर्मा के साथ उक्त दुकान में प्रवेश किया। तत्पश्चात् अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये श्री विकास शर्मा सें पूरा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री विकास शर्मा पुत्र श्री युगलकिशोर शर्मा, उम्र- 36 साल, निवासी- 34, राजपूतों का मोहल्ला, पीथावास हाथोज, कालवाड रोड, पुलिस थाना करधनी, आयुक्तालय (पश्चिम) जयपुर हाल प्रोपराईटर, कृष्णा इन्टरप्राईजेज, कालवाड रोड, जयपुर होना बताया। श्री विकास को अभी अभी परिवादी श्री किशन सिंह से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उसने कहा कि अभी थोडी देर पहले श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी ने मुझे फोन कर एक मोबाईल नम्बर [redacted] देकर बताया कि मेरे भान्जा के

मोबाईल नम्बर है अभी तेरे पास किशन सिंह 30,00,000/- रूपये लेकर आयेगा, जो तुम लेकर राजास आ जाना और इन नम्बरों पर कॉल कर लेना। मैं तेरे को वहीं पर मिलूंगा और पैसे ले लूंगा। श्री किशन सिंह जी के मेरे पास आने पर मैंने मेरे मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की, जिस पर श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी ने मुझे फोन पर किशन सिंह जी से 30,00,000/- रूपये लेकर पूर्व बताये अनुसार बुलाया। जिस पर मैं दूकान से किशन सिंह जी के साथ इनकी गाडी के पास गया और मेरी स्वीफ्ट गाडी के ड्राईवर साईड के पीछे का दरवाजा खोलकर किशन सिंह जी को श्री नरेन्द्र सिंह के बताये अनुसार 30,00,000/- रूपये, स्वीफ्ट गाडी में रखने के लिये ईशारा किया तो श्री किशन सिंह ने अपनी गाडी की डिक्की खोलकर उसमें से प्लास्टिक की थेली में रखे हुये पैसे मेरी स्वीफ्ट गाडी की पीछे की सीट पर रख दिये तथा मैं श्री किशन सिंह को अपनी दुकान में छोडकर श्री नरेन्द्र मीणा के बताये अनुसार उनको उक्त रूपये देने के लिये स्वीफ्ट गाडी में जाकर बैठा और पैसो की थैली को पिछली सीट से उठा कर आगे की सीट पर रखने लगा, तभी आप लोग आ गये। उक्त तथ्यों की पुष्टि के लिये ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर साफ पानी की एक बोतल मंगवाई जाकर साफ कांच के दो गिलासों में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री विकास शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी विकास शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री विकास शर्मा ने पूछने पर रिश्वत राशि अपनी गाडी आरजे 60 सीडी 9310 की पीछे की सीट पर ही होना बताने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मय हमराहियान जाब्ते की निगरानी में आरोपी श्री विकास शर्मा को उसकी गाडी आरजे 60 सीडी 9310 के पास में लेकर पहुंचे, जहां पर आरोपी श्री विकास शर्मा ने अपनी गाडी के ड्राईवर साईड के पीछे का फाटक खोला तो गाडी की पीछे की सीट पर प्लास्टिक की एक थैली में नोटो की गड्डियां दिखाई दी। उक्त थैली को स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप से उठवाई जाकर उसमें रखी नोंटों की गड्डीयों को दोनों गवाहान से चैक करवाया गया तो 500-500 रूपयें के नोटों की गड्डियां तथा अखबार लेपेटे हुये 500-500 रूपयें के नोट बरामद होना पाया गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 988, दौ सो रूपये के 16 तथा सौ रूपये के 28 नोट, कुल 10 गड्डियां कुल 5,00,000/- रूपये (जो भारतीय चलन मुद्रा के) तथा अखबार में 500-500 रूपये के डमी नोटों की कुल 50 गड्डियां जिनमें कुल 5,000 डमी नोट, कुल 25,00,000/- रूपये, जिन पर भारतीय मनोरंजन बैंक तथा अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ है, बरामद हुये। इस प्रकार कुल 30,00,000/-रूपये बरामद होना पाया गया। बरामदशुदा नोटो के (फर्द बरामदगी अनुसार) नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। तत्पश्चात् एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिब्बा मंगवाया जाकर आरोपी श्री विकास शर्मा की गाडी आरजे 60 सीडी 9310 की पीछे की सीट से प्लास्टिक की थेली में बरामदा रिश्वत राशि 30,00,000/- रूपये, जिनमें 5,00,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 25,00,000/- रूपये, जिन पर भारतीय मनोरंजन बैंक तथा अंग्रेजी में FULL OF FUN लिखा हुआ है, डमी राशि को उक्त प्लास्टिक की थैली में डलवाकर पारदर्शी प्लास्टिक के डब्बे (जिसके पीला कलर का ढक्कन है) में रखकर सील मोहर करवाकर चिट चस्पा कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। बरामदा रिष्वत राषि को स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात आरेापी श्री विकास शर्मा की गाडी नं. आरजे 60 सीडी 9310 के पीछे की सीट, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त स्थान का प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क D-1 व D-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का 'C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी को गाडी नं0 आरजे 60 सीडी 9310 के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री विकास शर्मा ने बताया कि यह गाडी मेरी है तथा मेरे नाम पर ही रजिस्टर्ड है। गाडी की आरसी नहीं मिली है। जिस पर आरोपी श्री विकास शर्मा से उक्त गाडी की चाबी प्राप्त कर उक्त गाड़ी बतौर वजह सबूत होने से मय चाबी के कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि आज प्रातः अचानक संदिग्ध पटवारी श्री विकास शर्मा के साथ मेरे से मिलने के लिये घर आया था तब श्री विकास ने मेरे नामान्तरण खुलवाने की एवज में श्री नरेन्द्र मीणा को मांग के अनुसरण में रिश्वत नहीं देने पर स्टे लगवाने की बात कही थी। संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र मीणा द्वारा मेरे से सत्यापन के समय उक्त सन्दर्भित जमीन में एक प्लाट कन्सेशन करने की बात कही गई है वह भी इसी विकास के लिये कही है। आज भी प्रातः श्री नरेन्द्र मीणा ने मुझे इन्ही को उक्त

भूमि में से एक प्लाट की रेट में कन्सेसन करने की बात कही है। जिस पर आरोपी श्री विकास शर्मा को आज प्रातः संदिग्ध श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी के साथ परिवादी श्री किशन सिंह से घर के पास में जाकर वार्ता के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री विकास शर्मा ने बताया कि श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी मेरे मिलने वाला है उसने मेरे को आज सुबह ही किशन सिंह की जमीन के बारे में बताकर उसका नामान्तरण खुलवाने की एवज में 30,00,000/- रूपये लेने के सम्बंध में बताकर किशन सिंह जी से मिलने के लिये मुझे साथ में लेकर इनके घर गये थे घर जाकर पटवारी जी ने श्री किशन सिंह जी को फोन कर बुलाया था जहां पटवारी जी ने मेरे सामने किशन सिंह जी को इनकी जमीन के नामान्तरण खुलवाने के एवज में 30,00,000/- रूपये एक साथ आज ही 2-3 बजे तक देने के लिये कहा था। पटवारी जी ने मेरे को इनकी जमीन के बारे में पहले बताया था कि उसमें कोई स्टे वगैरा लगने वाला है इसलिये इनके पैसे देने पर ही मैं इनका काम करूंगा। इसलिये मैंने भी इनको स्टे के लिये कह दिया था। उस समय पटवारी जी ने मेरे लिये भी एक प्लाट में कन्सेसन करने के लिये किशन सिंह जी को कहा था। सुबह पटवारी जी ने किशन सिंह का फोन लेकर स्वीच ऑफ कर वार्ता की थी तथा किशन सिंह जी द्वारा 30,00,000/- रूपये की रिश्वत की व्यवस्था में समय लगने की कहने पर पटवारी जी ने 2-3 बजे तक रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के लिये कहा तथा व्यवस्था होने पर फोन करके कोड वर्ड में ''जय श्री बालाजी'' कहकर रिश्वत राशि की व्यवस्था होने के बारे में इशारा करने तथा उसके उपरान्त रिश्वत राशि कहां पर लेकर आना है वह स्थान बताने के लिये कहा था। तत्पश्चात् मुझे साथ में लेकर पटवारी जी वापस आ गये तथा मुझे स्टेण्ड पर छोडकर पटवारी चले गये। आरोपी श्री विकास शर्मा की उपरोक्त दूकान में दो व्यक्ति ओर बैठे मिले जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री श्री युगलकिशोर शर्मा, उम्र- 36 साल, निवासी- 34, राजपूतों का मोहल्ला, पितावास हाथोज, कालवाड रोड, पुलिस थाना करधनी, आयुक्तालय (पश्चिम) जयपुर तथा दूसरे ने अपना नाम श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री लल्लू प्रसाद शर्मा उम्र 48 साल निवासी ग्राम पोस्ट अखेपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर होना बताया। आरोपी श्री विकास शर्मा द्वारा श्री विशाल को अपना छोटा भाई तथा श्री ओमप्रकाश को अपना भाई (बुआ का लडका) होना बताया। जिस पर दोनों को उक्त दूकान में बैठे रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री विकास शर्मा को आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के सम्बंध में पूछने पर बताया कि वह अभी जब मैंने रिश्वत राशि प्राप्त की तब वह अपनी सफेद कलर की स्कार्पियों गाडी, नम्बर 5415 में यही सामने रोड पर चक्कर लगा रहा था। दो-तीन बार रोड पर मेरी दूकान के सामने से निकला है। जिस पर आरोपी श्री विकास शर्मा को आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा पटवारी से वार्ता करने की कहने पर आरोपी श्री विकास शर्मा द्वारा अपने मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted], जो आरोपी श्री विकास शर्मा के फोन में N P T H के नाम से सेव है पर फोन को स्पीकर मोड पर डायल किया गया तो फोन स्वीच आॅफ होना पाया गया, तत्पश्चात आरोपी श्री विकास शर्मा से आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के दूसरे मोबाईल नम्बर [redacted], जो आरोपी श्री विकास शर्मा के फोन में PATWARI KAJOD के नाम से सेव है, पर स्पीकर आॅन कर डायल करवाया गया तो उक्त नम्बर भी स्वीच ऑफ होना पाया गया। इसी प्रकार आरोपी द्वारा आरोपी नरेन्द्र मीणा के व्हाट्स एप्प नम्बर [redacted] पर ऑफ करवाया गया तो वह भी रिसीव नहीं हुआ। तत्पश्चात आरोपी श्री विकास शर्मा को आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के निवास तथा मिलने के सम्भावित स्थानों के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उसका घर चम्पापुरा में मंदिर के सामने है वह घर गया होगा या फिर वह अपने मिलने वाली पटवारी पूनम जो शिव वाटिका में खण्डाका होस्पीटल के सामने रहती है उसके पास गया होगा। अब तक की कार्यवाही के बारे में उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। निर्देशानुसार आरोपी की तलाश हेतु उसके चम्पापुरा के निवास स्थान पर श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता को बाद हिदायत रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर आरोपी श्री विकास शर्मा एवं जब्तशुदा आर्टिकल्स इत्यादि को श्री सुभाष हैडकानि0 35 मय जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान की निगरानी में सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत मुनासिब कर कानि0 श्री दीपेन्द्र सिंह को हमराह लेकर आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के सम्भावित स्थान शिव वोटिका पूनम पटवारी के घर पर पहुंचकर आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा की पतारसी की तो आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा वहां पर नहीं होना पाया गया। तत्पश्चात रवाना होकर हमराहियान के साथ मौके पर आया तथा आरोपी तथा जब्तशुदा आर्टिकल्स इत्यादि को स्वयं जिम्मे लिया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी के सम्भावित स्थानों पर मुखबिरो को तलाश करने की हिदायत की गई। थोडी देर में जरिये मुखबिर इतला मिली की आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा अपनी स्कार्पीयों गाडी नं आर0जे0 14 यूजे 5415 लेकर लखेर गांव की तरफ गया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया तथा निर्देशानुसार श्री कमलेश कुमार हैडकानि. 74 मय श्री योगेश कुमार कानि0 202 तथा श्री दिपेन्द्र सिंह कानि0 365 को बाद हिदायत आरोपी की तलाश हेतु परिवादी के वाहन से परिवादी के बडे भाई श्री नरेन्द्र सिंह के साथ बाद हिदायत रवाना किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विभागीय पैनासोनिक कैमरे से श्री हिमांषु शर्मा, वरिष्ठ सहायक से प्रावधानानुसार विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। अब तक कार्यवाही से आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी, पटवार हल्का हाथोज, तहसील कालवाड, जिला जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी से उसकी जमीन के नामान्तरण खुलवाने की एवज में 50,00,000/- रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना, दिनांक 19.09.2025 को दौराने सत्यापन परिवादी से उक्त कार्य की एवज में 30,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ के तौर पर तय कर रिश्वत राशि दिनांक 20.09.2025 को

मंगवाना, आज दिनांक 21.09.2025 को प्रातः आरोपी श्री विकास शर्मा के साथ परिवादी के घर के पास में जाकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से उसके उपरोक्त कार्य की एवज में 30,00,000/- रूपये की मांग कर परिवादी को रिश्वत राशि की आज ही व्यवस्था कर व्यवस्था होने पर परिवादी द्वारा फोन पर "जय श्री बालाजी" कहकर संकेत करना तथा परिवादी द्वारा आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के कहे अनुसार "जय श्री बालाजी" कहकर संकेत करने पर रिश्वत राशि हेतु आरोपी श्री विकास शर्मा की दूकान पर पहुंचने हेतु कहना तथा बाद में रिश्वत राशि आरोपी श्री विकास शर्मा को देने हेतु कहना, आरोपी श्री विकास शर्मा को रिश्वत राशि लेकर राजास बुलाना तथा राजास पहुंचने पर मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क करने हेतु कहना, आरोपी श्री विकास द्वारा आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा से अवैध रूप से मिलीभगत करना, आरोपी श्री विकास शर्मा द्वारा आरोपी पटवारी के साथ जाकर परिवादी से रिश्वत की मांग करना, परिवादी के कार्य के सम्बंध में जानकारी रख कर आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के उक्त आपराधिक कृत्य में सहयोग कर रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी की दस्तियाबी हेतु टीम रवाना की हुई है जिसकी पतारसी की जा रही है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विकास शर्मा पुत्र श्री युगल किशोर शर्मा, उम्र- 36 साल, निवासी- 34, राजपूतों का मोहल्ला, पितावास हाथोज, कालवाड रोड, पुलिस थाना करधनी, आयुक्तालय (पश्चिम) जयपुर हाल प्रोपराईटर, कृष्णा इन्टरप्राईजेज, कालवाड रोड, जयपुर द्वारा परिवादी श्री किशन सिंह की जमीन के नामान्तरण खुलवाने की एवज में आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी, पटवार हल्का हाथोज तहसील कालवाड, जयपुर के मध्यस्थ (दलाल) की भूमिका निभाते हुये उससे मिलीभगत कर अवैध रूप से 30,00,000/- रूपये की रिश्वति राशि की मांग कर प्राप्त किया जाना अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन व लेन देन वार्ताओ की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई व डीवीडी बर्न कर शिल्डशुदा की गई। वार्ताओ का मूल मेमौरी कार्ड जब्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही एवं बरामदगी रिश्वती राशि की विडियोग्राफी के काम में लिया गया मेमौरी कार्ड एवं उसकी प्रति तैयार कर जरिये फर्द जब्त किया गया। आरोपी श्री विकास शर्मा के मोबाइल एप्पल आईफोन-13 में आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा के साथ मैसेज एवं चैटिंग के स्क्रीनशाट के प्रिन्ट लिये जाकर एप्पल आईफोन -13 मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। बतौर वजह सबूत जब्त आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी की दस्तियाबी हेतु टीम रवाना की हुई है जिसकी पतारसी की जा रही है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विकास शर्मा पुत्र श्री युगल किशोर शर्मा, उम्र- 36 साल, निवासी- 34, राजपूतों का मोहल्ला, पितावास हाथोज, कालवाड रोड, पुलिस थाना करधनी, आयुक्तालय (पश्चिम) जयपुर हाल प्रोपराईटर, कृष्णा इन्टरप्राईजेज, कालवाड रोड, जयपुर द्वारा परिवादी श्री किशन सिंह की जमीन के नामान्तरण खुलवाने की एवज में आरोपी श्री नरेन्द्र मीणा, पटवारी, पटवार हल्का हाथोज तहसील कालवाड, जयपुर के मध्यस्थ (दलाल) की भूमिका निभाते हुये उससे मिलीभगत कर अवैध रूप से 30,00,000/- रूपये की रिश्वति राशि की मांग कर प्राप्त किया जाना अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अन्य अधिकारियों की अपराध में संलिप्तता एवं भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट हो सकेगी। अतः आरोपीगण 1- श्री नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रणजीत सिंह मीणा उम्र 31 साल निवासी 4- मीणो का मोहल्ला, चम्पापुरा कालवाड रोड़, जयपुर 2- श्री विकास शर्मा पुत्र श्री युगल किशोर शर्मा, उम्र- 36 साल, निवासी-34, राजपूतों का मोहल्ला, पितावास हाथोज, कालवाड रोड, पुलिस थाना करधनी, आयुक्तालय (पश्चिम) जयपुर हाल प्रोपराईटर, कृष्णा इन्टरप्राईजेज, कालवाड रोड, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। (संदीप सारस्वत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संदीप सारस्वत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1.नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री रणजीत सिंह मीणा उम्र 31 साल निवासी 4-मीणों का मोहल्ला, चम्पापुरा, कालवाड रोड जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का हाथोद, तहसील कालवाड, जिला जयपुर। 2. श्री विकास शर्मा पुत्र श्री युगल किशोर शर्मा, उम्र- 36 साल, निवासी- 34, राजपूतों का मोहल्ला, पितावास हाथोज, कालवाड रोड, पुलिस थाना करधनी, आयुक्तालय (पश्चिम) जयपुर हाल प्रोपराईटर, कृष्णा इन्टरप्राईजेज, कालवाड रोड, जयपुर व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू द्वितिय जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 425 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1417-20 दिनांक 24.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर-1, 2. जिला कलेक्टर, जयपुर, 3. उप

महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसआईयू जयपुर, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/09/2025 11:32:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)